भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 662330

॥ॐ॥

श्री गणेशाय नमः

::विक्रयपत्र::

कार्यालय का नाम :–	उप निबंधक जोन–2 कानपुर नगर
1.प्रस्तुत दिनांकः–	07/04/2010
2.निष्पादन तिथिः–	07/04/2010
3.प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता निष्पादनकर्ता का नामः–	श्री हरिपाल सिंह बालिग पुत्र श्री मुलायम सिंह निवासी मकान नम्बर 117/15 क्यू ब्लाक, शारदा नगर कानपुर नगर
4. लेखपत्र का प्रकारः–	विक्रयपत्र
5. प्रतिफलः–	मुबलिग 6,00,000/-- रुपया
6. बाजारी मूल्यः–	मुबलिग 14,36,000/-- रुपया
7. क्रेताः–	श्रीमती अनुराधा मेहरोत्रा बालिग पत्नी श्री सुधीर कुमार मेहरोत्रा, एडवोकेट निवासिनी मकान नम्बर 15/265 'डी' सिविल लाइन्स कानपुर नगर।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

31 MAR 2011

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 6623

8. सम्पत्ति का विवरणः–	आराजी खाता नम्बर 140 में आराजी खसरा नम्बर– 221 रकवा 0.543 हेक्टेयर का 1/2 भाग क्षेत्रफल 0.2715 हेक्टेयर स्थित ग्राम सम्भरपुर कानपुर नगर।
स्थानः–	ग्राम सम्भरपुर कानपुर नगर
विक्रीत कृषि भूमि क्षेत्रफलः–	क्षेत्रफल 0.2715 हेक्टेयर
सीमा में सड़क की चौडाईः–	खेतो के बीच में है,
आवासीय / कृषि भूमिः–	कृषि भूमि
सीमाओ का विवरण :–	पूरब :– कृषि भूमि आराजी नम्बर 215 व 214 पश्चिम :– कृषि भूमि आराजी नम्बर 231 उत्तर :– कृषि भूमि आराजी नम्बर 219 व 220 दक्षिण :– कृषि भूमि आराजी न. 222 व 223 एवं 224
विक्रेता अनुसूचित जाति का	नही है।
भवन / भूखण्ड / कृषिः– स्टाम्प अदायगी का विवरण	कृषि भूमि
जिलाधिकारी के अनुसार कृषि भूमि की दरः–	मुबलिग 50,00,000/–प्रति हेक्टेयर

Hari Pal Singh

[signature]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 662328

अमरूद के 50 पेड व 2 जामुन के पेड़ व 8 यूकेलेप्टस के पेड़ व 2 नीम के पेड़ एवं 4 नीबू के पेड़ जिनकी उम्र लगभग 10 से 15 साल तक है:-	मुबलिग 78,000/- रुपया
कृषि भूमि का मूल्य:-	मुबलिग 13,57,500/-रुपया मात्र
भूमि व पेड़ो की कुल कीमत:-	मुबलिग 14,36,000/-रुपया मात्र
जिलाधिकारी द्वारा देय स्टाम्प:-	मुबलिग 91,000/- रुपया मात्र
कुल दिया गया स्टाम्प:-	मुबलिग 91,000/- रुपया मात्र

मै कि श्री हरिपाल सिंह बालिग पुत्र श्री मुलायम सिह निवासी मकान नम्बर 117/15 क्यू ब्लाक शारदा, नगर कानपुर नगर का हूँ।

विदित हो कि विक्रेता खाता नम्बर 140 आराजी खसरा नम्बर- 221 रकवा 0.543 हेक्टेयर का 1/2 भाग क्षेत्रफल 0.2715 हेक्टेयर स्थित ग्राम सम्भरपुर कानपुर नगर का तनहां मालिक काबिज व स्वामी है। उक्त आराजी कृषि भूमि के पूर्व मालिक श्री राजा उर्फ राजाराम व श्री मन्नी पुत्रगण स्व. श्री लाला निवासी ग्राम सम्भरपुर थे, श्री राजा उर्फ राजाराम ने अपने हिस्से की कुल आराजी भूमि को श्री हरिपाल सिंह यानि विक्रेता के हक में दिनांक 26/06/1996 विक्रय कर दिया जिसकी रजिस्ट्री बही नम्बर 1 जिल्द नम्बर 745 के पेज नम्बर 341 से 370 में नम्बर 1245 पर

HariPal Singh

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL
भारत
रु. 15000
FIFTEEN THOUSAND RUPEES
Rs. 15000
पन्द्रह हजार रुपये
सत्यमेव जयते
INDIA
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 483143

दिनांक 26/06/1996 को हुई, उक्त विक्रयपत्र के आधार पर विक्रेता उक्त सम्पत्ति की तनहां मालिक व स्वामी हो गया, विक्रेता का नाम तहसील के अभिलेखो में बहैसियत मालिक दर्ज हो गया। विक्रेता उक्त सम्पूर्ण आराजी कृषि भूमि में 1/2 भाग का तनहां मालिक काबिज व दखील है, विक्रेता की सम्पत्ति उपरोक्त आज दिन तक हर प्रकार से पाक व साफ है तथा विक्रेता का नाम तहसील आदि के अभिलेखों में स्वामित्व के खाने मे बतौर स्वामी दर्ज है। विक्रेता को अपनी उक्त सम्पत्ति के हस्तान्तरण के पूर्ण अधिकार हांसिल है तथा विक्रेता अपनी उक्त सम्पत्ति को हस्तान्तरित करने हेतु वैधानिक रूप से पूर्णतया सक्षम है।

यह भी विदित हो कि विक्रेता को इस समय अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रूपयों की सख्त आवश्यकता है तथा बिना उपरोक्त आराजी भूमि को विक्रय किये विक्रेता की आवश्यकता पूरी होना सम्भव नही है। इसलिए विक्रेता ने अपने हितैषियो से राय ली व अपने हितों पर विचार किया तथा उपरोक्त सम्पत्ति यानि उपरोक्त खाता नम्बर 140 में आराजी खसरा नम्बर-221 रकवा 0.543 हेक्टेयर में अपना कुल हिस्सा 1/2 भाग क्षेत्रफल 0.2715 हेक्टेयर स्थित ग्राम सम्भरपुर कानपुर नगर जिसकी विस्तृत विवरण व चतुर्दिक सीमाये इस लेखपत्र के अन्त में वर्णित है जिसे संलग्न मानचित्र मे लाल रगं से प्रदर्शित किया गया है, को विक्रय करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेना बेहतर समझा तथा उपरोक्त सम्पत्ति को विक्रय करने के लिए बातचीत चलाई, तो विक्रेता की बात श्रीमती अनुराधा मेहरोत्रा बालिग पत्नी श्री सुधीर कुमार मेहरोत्रा, एडवोकेट निवासिनी मकान नम्बर 15/265 'बी' सिविल लाइन्स कानपुर नगर से हुयी, जो कि विक्रेता द्वारा उपरोक्त सम्पत्ति को पूर्णतया पाक व साफ होने तथा एकमात्र अपनी ही मिल्कियत

Hari Pal Singh   अनुराधा मेहरोत्रा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

M 005158

होने का यकीन व इत्मिनान दिलाने पर उपरोक्त सम्पत्ति को बहालत मौजूदा मुबलिग 6,00,000/–रुपये शब्दों में– छः लाख रूपयों में क्रय करने को तैयार व रजामंद है, जो कीमत क्रेती उपरोक्त ने लगाई है, वह बाजार भाव के अनुरूप है तथा निहायत उचित व मुनासिब है तथा यह कीमत विक्रेता को भी सहर्ष स्वीकार है तथा इससे अधिक कीमत अन्य कोई व्यक्ति देने को तैयार नही है। अतः विक्रेता ने इसी कीमत पर सम्पत्ति उपरोक्त को विक्रय करना स्वीकार कर लिया है।

अतः विक्रेता ने अपने हितैषियों से राय ली व अपने हितों पर विचार करके उक्त सम्पत्ति यानि खाता नम्बर 140 में आराजी खसरा नम्बर–221 रकवा 0.543 हेक्टेयर का 1/2 भाग क्षेत्रफल 0.2715 हेक्टेयर स्थित ग्राम सम्भरपुर कानपुर नगर जिसकी विस्तृत विवरण व चतुर्दिक सीमाये इस लेखपत्र के अन्त में वर्णित है जिसे संलग्न मानचित्र मे लाल रगं से प्रदर्शित किया गया है, को क्रेती उपरोक्त, श्रीमती अनुराधा मेहरोत्रा बालिग पत्नी श्री सुधीर कुमार मेहरोत्रा, एडवोकेट निवासिनी मकान नम्बर 15/265 'बी' सिविल लाइन्स कानपुर नगर के पक्ष मे मुबलिग 6,00,000/–रुपये शब्दों में– छः लाख रूपयों जिसके आधे मुबलिग 3,00,000/– रुपये होते है, मे बहालत मौजूदा उक्त आराजी में अपने कुल हिस्से को विकय कर दिया यानि क्रेती उपरोक्त के पक्ष में विक्रीत सम्पत्ति को अपने सम्पूर्ण अधिकार व सुखाधिकार व सहित विक्रय कर दिया यानि बेच डाला और कुल विक्रय मूल्य इस लेखपत्र के अन्त मे वर्णित विधि से विक्रेता ने क्रेती उपरोक्त से प्राप्त कर लिया तथा विक्रीत सम्पत्ति उपरोक्त क्रेती के हक मे हस्तान्तरित कर दिया तथा विक्रीत सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा व दखल अपनी ही भाँति क्रेती को करा दिया। अब विक्रेता का कोई सम्बन्ध मालिकाना हक कब्जा व दखल किसी किस्म का विक्रीत सम्पत्ति पर नहीं रह गया है। क्रेती को यह अधिकार होगा

Hari Lal Bajpai अनुराधा मेहरोत्रा

कि वह विक्रीत सम्पत्ति को जिस तरह से चाहे उपयोग करे, और अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें निर्माण करे, रहन, बय, हिबा, वसीयत या जमानत व न्यास आदि करे, उसके किसी कृत्य में विक्रेता को किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं रह गया है और न कभी भविष्य में होगा। क्रेती को यह अधिकार है कि वह इस लेखपत्र के आधार पर अपना नाम बतौर मालिक, काबिज के कागजात सरकारी प्रलेखों में या जहां कहीं भी आवश्यकता हो, विक्रेता के नाम के स्थान पर बहैसियत मालिक व स्वामी विक्रीत सम्पत्ति पर दर्ज करवा लेवे। विक्रेता की रजामन्दी व सहमति इस लेखपत्र से ही समझी जावेगी तथा यदि इस कार्य में जहां कहीं भी विक्रेता की सहायता की आवश्यकता होगी, विक्रेता लिखित व मौखिक व शपथपत्र आदि देकर क्रेती की मदद करने को बाध्य रहेगा।

यह भी विदित हो कि विक्रेता ने क्रेती को विश्वास दिलाया कि विक्रीत सम्पत्ति आराजी कृषि भूमि जिसका विस्तृत विवरण एवं चतुर्दिक सीमायें इस विक्रयपत्र के अन्त मे वर्णित हैं, हर प्रकार के भार से पूरी तरह पाक व साफ है तथा हर प्रकार के विवाद से मुक्त है। विक्रीत सम्पत्ति कहीं पर गिरवी, विक्रय, दान, न्यास या वसीयत या जमानत आदि नहीं है। विक्रीत सम्पत्ति पर विक्रेता ने किसी सरकारी या अर्ध–सरकारी या स्वायत्तशाषी वित्तीय या बैंकिंग संस्थान या निजी संस्थान से कोई ऋण आदि नहीं लिया है और विक्रीत सम्पत्ति की जमानत पर किसी को कोई ऋण आदि दिलाया भी नहीं है। उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी ऋण आदि की वसूली सम्बन्धी कोई कार्यवाही कहीं पर विचाराधीन नहीं है। उक्त विक्रीत सम्पत्ति के मालिकाना हक के संबध में कोई वाद या कार्यवाही किसी भी न्यायालय अथवा कार्यालय में विचाराधीन नहीं है और वह किसी डिक्री की इल्लत में न तो कुर्क और न नीलाम है और न ही उक्त विक्रीत सम्पत्ति मे किसी भी प्रकार की आयकर व व्यापार कर की कोई इल्लत है। विक्रेता की विक्रीत सम्पत्ति उपरोक्त किसी अर्ध–सरकारी या गैर सरकारी स्कीम में अर्जित नहीं की गयी है और न ही उसके अर्जन के सम्बन्ध मे विक्रेता को आज दिन तक किसी भी विभाग से कोई नोटिस ही प्राप्त हुई है। विक्रेता को किसी न्यायालय आदि के किसी आदेश के द्वारा उक्त विक्रीत सम्पत्ति को हस्तान्तरित आदि करने से रोका या मना भी नहीं किया गया है। विक्रेता ने विक्रीत सम्पत्ति के संबध में न तो किसी से कोई बयाना आदि ही लिया हैं और न किसी प्रकार का कोई इकरारबय व मुख्तारनामा आम आदि भी अन्य किसी के पक्ष मे निष्पादित किया है। इस प्रकार विक्रेता को कुल अधिकार हस्तानान्तरण बाबत उपरोक्त विक्रीत सम्पत्ति प्राप्त है। उक्त विक्रयपत्र के निष्पादन के पूर्व इस संबध कोई धनराशि यदि बकाया पायी जाती है, तो उसको अदा करने की जिम्मेदारी विक्रेता की होगी। यदि कोई बात इस लेखपत्र के विपरीत पायी जावे या किसी अन्य व्यक्ति का कोई हक व हिस्सा किसी भी किस्म का विक्रीत सम्पत्ति पर पाया जावे या कोई रकम विक्रेता द्वारा विक्रय की हुई सम्पत्ति पर बकाया निकले या विक्रीत सम्पत्ति पर कोई भार आदि पाया जावे या विक्रेता की मिल्कियत में कमी के कारण या विक्रेता के किसी कार्य या अकार्य से विक्रीत सम्पत्ति का कुल या जुज भाग क्रेती उपरोक्त के कब्जा व दखल मालिकाना से निकल जावे या क्रेती को विक्रीत सम्पत्ति के मालिकाना अधिकारों की रक्षा के लिये कोई रकम अदा करनी पड़े, या इस लेखपत्र के किसी कथन के असत्य या विपरीत होने के कारण क्रेती को किसी भी प्रकार की कोई क्षति पहुँचे या विक्रीत सम्पत्ति के बावत विक्रय तिथि के पश्चात विक्रेता के पक्ष की किसी देयता की कोई राशि इस संबध में क्रेती को अदा करनी पड़े तो विक्रेता, क्रेती के प्रत्येक क्षतिपूर्ति को अदा करने के उत्तरदायी रहेगा व क्रेती को यह पूर्णतया अधिकार होगा कि वह

Hari Pal Singh

अनुराधा नेहरोत्रा

विक्रय पत्र

600,000.00/	**1,436,000.00**	10,000.00	50	10,050.00	2,500
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री /श्रीमती हरिपाल सिंह Hari Pal Singh

पुत्र / पत्नी श्री मुलायम सिंह

पेशा सेवानिवृत्त

निवासी स्थायी 117/15 क्यू ब्लाक शारदा नगर कानपुर

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 7/4/2010 समय 2:28PM बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

Hari Pal Singh

आर0सिंह (प्रभारी)
उप निबन्धक (जोन-2)
कानपुर नगर।
7/4/2010

निष्पादन लेखपत्र वाद सनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री/श्रीमती हरिपाल सिंह
पुत्र/पत्नी श्री मुलायम सिंह
पेशा सेवानिवृत्त
निवासी 117/15 क्यू ब्लाक शारदा नगर कानपुर

क्रेता

श्री/श्रीमती अनुराधा मेहरोत्रा
पुत्र/पत्नी श्री सुधीर कुमार मेहरोत्रा एडवोकेट
पेशा गृहिणी
निवासी 15/265बी सिविल लाइन्स कानपुर

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान श्री **विष्णुशंकर बाजपेई**
पुत्र श्री **अनन्तराम बाजपेई**
पेशा **व्यापार**
निवासी **94-रुमा कानपुर**

व श्री **विपिन कुमार** Vipin.
पुत्र श्री **कृष्ण मोहन**
पेशा **नौकरी**
निवासी **गंमा नगर शुक्लागंज उन्नाव**

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

आर0सिंह (प्रभारी)
उप निबन्धक (जोन-2)
कानपुर नगर।
7/4/2010

पूर्ण अथवा अंश विक्रय धन, हर्जा, खर्चा व ब्याज सहित विक्रेता से व्यक्तिगत रूप से या विक्रेता की अन्य चल व अचल सम्पत्ति व उनके वारिसान से जैसे भी चाहें वसूल कर लेवें। इसमें विक्रेता व उनके वारिसान को कोई आपत्ति करने का कतई कोई अधिकार नहीं होगा तथा उनके द्वारा इस सम्बन्ध में की गई समस्त आपत्तियां अमान्य होंगी। यदि उपरोक्त आश्वासनों में कुछ भी गलत या झूंठ पाया जाता है, तो उस सबकी कुल जिम्मेदारी विक्रेता की होगी इस लेखपत्र की पाबन्दी विक्रेता व विक्रेता के उत्तराधिकारीगण पर लागू होगी तथा क्रेती के उत्तराधिकारीगण स्थानापन्नो व हस्तान्तरण द्वारा प्राप्तकर्ताओ को वे सभी अधिकार प्राप्त होगे, जो क्रेती को इस विकयपत्र के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं। 200 मीटर त्रिज्या पर कृषि कार्य हो रहा है। विकेता का पैन नम्बर AGNPS0164L है, एवं श्रीमती अनुराधा मेहरोत्रा का पैन नम्बर AITPM2005Q है।

अतः विक्रेता एवं क्रेती ने अपने स्वस्थ्य मन, बुद्धि व चित्त की दशा में, बिना किसी जोर व दबाव नाजायज के, अपने शुभ चिन्तकों व पारिवारिक सदस्यों व इष्ट मित्रों व कानूनी सलाहकारों से सलाह मशविरा करने के उपरान्त, समक्ष साक्षीगण यह विकयपत्र निष्पादित कर दिया, ताकि प्रमाण स्वरूप समय पर काम आवे ।

: : विवरण व चतुर्दिक सीमायें विकीत सम्पत्ति : :

आराजी कृषि भूमि खाता नम्बर 140 में आराजी खसरा नम्बर–221 रकवा 0.543 हेक्टेयर में अपना कुल 1/2 भाग क्षेत्रफल 0.2715 हेक्टेयर स्थित ग्राम सम्भरपुर कानपुर नगर जिसका विस्तृत विवरण व चतुर्दिक सीमाये निम्नलिखित वर्णित है। जो संलग्न नक्शे मे लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है।

पूरब :– कृषि भूमि आराजी नम्बर 215 व 214

पश्चिम :– कृषि भूमि आराजी नम्बर 231

उत्तर :– कृषि भूमि आराजी नम्बर 219 व 220

दक्षिण :– कृषि भूमि आराजी न. 222 व 223 एवं 224

–: धनराशि वसूलयाबी विवरण :–

मुबलिग 1,00,000/–रूपया बजरिये चेक नम्बर 010556 दिनांक 22/03/2010 यूनियन बैंक आफ इण्डिया शाखा रावतपुर कानपुर नगर प्राप्त कर लिया।

मुबलिग 5,00,000/–रूपया बजरिये चेक नम्बर 010579 दिनांक 07/04/2010 यूनियन बैंक आफ इण्डिया शाखा रावतपुर कानपुर नगर प्राप्त कर लिया।

....

मुबलिग 6,00,000/– रुपया विकेती ने क्रेती से प्राप्त कर लिया है, रुपया प्राप्त होने की रसीद यह विकयपत्र ही समझा जावेगा। अब विकयमूल्य के सम्बन्ध मे विकेती को क्रेती से कुछ भी पाना बाकी नहीं रह गया है।

विक्रेता के दाये हाथ की अगुलियो के निशान

अंगूठा	तर्जिनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठा

Hari Pal Singh

अनुराधा मेहरोत्रा

विक्रेता

Registration No 1635 Year : 2010 Book No. 1

0101 हरिपाल सिंह

मुलायम सिंह

117/15 क्यू ब्लाक शारदा नगर कानपुर

सेवानिवृत्त

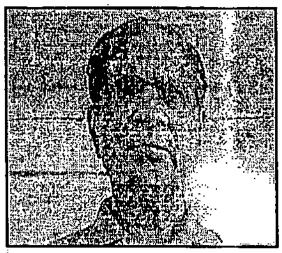

<u>विक्रेता के बाये हाथ की अगुलियो के निशान</u>

अंगूठा | तर्जिनी | मध्यमा | अनामिका | कनिष्ठा

<u>क्रेती के दाये हाथ की अगुलियो के निशान</u>

अंगूठा | तर्जिनी | मध्यमा | अनामिका | कनिष्ठा

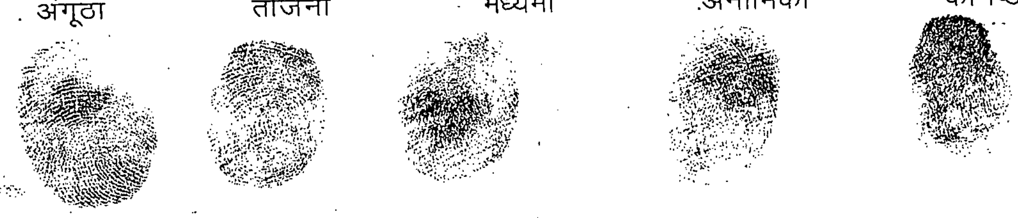

<u>क्रेती के बाये हाथ की अगुलियो के निशान</u>

अंगूठा | तर्जिनी | मध्यमा | अनामिका | कनिष्ठा

गवाह :–

1– [signature]
विश्वेश्वर वाजपेयी
S/o श्री [illegible] वाजपेयी
नि० 94 [illegible] नगर

2– Vipin
विपिन कुमार
S/o श्री कृष्ण मोहन
गंगानगर शुक्लागंज (उन्नाव)

<u>विक्रेता</u>

HariPal Singh

<u>क्रेती</u>

अनुराधा मेहरोत्रा

मेरे निजी र्निदेशन मे टाइप किया गया ।

[signature]

अनुराग कपूर एडवोकेट,

क्रेता

Registration No. 1635 Year : 2010 Book No. 1

0201 **अनुराधा मेहरोत्रा**
सुधीर कुमार मेहरोत्रा एडवोकेट
15/265बी सिविल लाइन्स कानपुर
गृहिणी

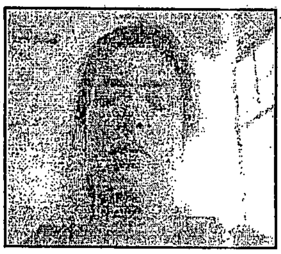

॥ॐ॥

श्री गणेशाय नमः

फोटो आराजी खाता नम्बर 140 में आराजी खसरा नम्बर– 221 रकवा 0.543 हेक्टेयर का 1/2 भाग क्षेत्रफल 0.2715 हेक्टेयर स्थित ग्राम सम्भरपुर कानपुर नगर

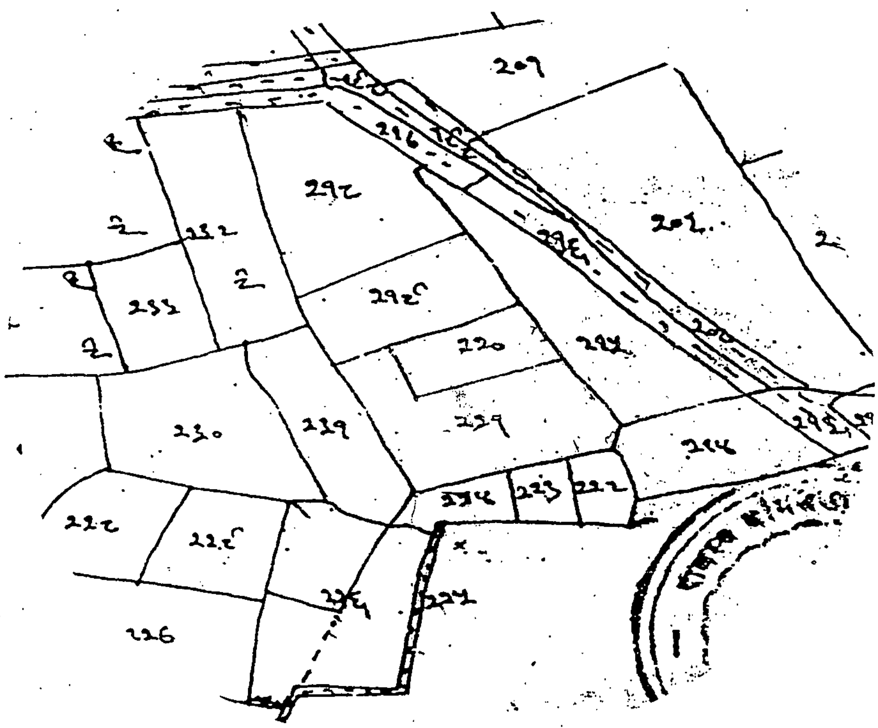

Hari Pal Singh

अनुराधा महरोत्रा

106/
5/8/1

आज दिनांक **07/04/2010** को

बही सं **1** जिल्द सं **4444**

पृष्ठ सं. **81** से **98** पर कमांक **1635**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

आर0सिंह (प्रभारी)

उप निबन्धक (जोन-2)

कानपुर नगर।

7/4/2010

र प्रदेश

TITLE DOC (2)